छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण) मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

(एंसीलरी ब्लॉक, प्रथम तल, एए 1–16)

विज्ञापन

क्रमांक एफ 11–35/1–11/लाय./2016/133 नया रायपुर, दिनांक 16.12.2016

विषयः–मंत्रालय, महानदी भवन (ग्रंथालय), नया रायपुर हेतु बुक बाईण्डर एवं बुक असिस्टेण्ट चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति ।

मंत्रालय, महानदी भवन (ग्रंथालय), नया रायपुर हेतु चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित हैं । श्रेणीवार पदों की संख्या एवं विवरण निम्नानुसार हैः–

स. क्र	विभाग का नाम	पद का नाम	वेतनमान	श्रेणी				
				अनारक्षित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय सेवा)	बुक बाईण्डर	4750–7400 + 1300 ग्रेड वेतन	01	–	–	–	01
2.	सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय सेवा)	बुक असिस्टेण्ट	4750–7400 + 1300 ग्रेड वेतन	01	–	–	–	01

टीपः–यह एकल पद है इसलिये इसमें नियुक्ति हेतु आरक्षण लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

(1) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :–

1. **बुक बाईण्डर–**

(एक) दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(दो) शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निजी संस्थान में बुक बाईण्डिग का 3 वर्ष कार्यानुभव।

2.**बुक असिस्टेण्ट–**

(एक) दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(दो) शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निजी संस्थान में बुक असिस्टेण्ट का 3 वर्ष कार्यानुभव।

(2) आयु–सीमा – अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2016 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2016 में निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु–सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) नियुक्ति के लिए शर्तेः–

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।
2. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो विवाह के लिये नियत न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किये हों, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। (इस संबंध में **स्व–घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा**, जॉच में गलत पाये जाने पर सेवा समाप्ति एवं दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी)
3. ऐसे उम्मीद्वार जिसके 02 से अधिक संतान हो, जिनमें किसी एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

क्रमशः.....

4. आवेदक को अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (10वीं) की अंकसूची तथा उल्लेखित विवरण स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां चयन के समय प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक के पास निर्धारित योग्यता एवं अर्हताएं, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व का होना चाहिए।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3, दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीद्वारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप – (एक) के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद त्रुटि सुधार के लिये कोई आवेदन स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जायेगा, अभ्यर्थी के पुलिस व्हेरीफिकेशन में निर्हरता पाये जाने पर बिना सूचना के सेवा समाप्त कर दिया जावेगा।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
11. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन का होगा।
12. रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन हो।
13. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
14. अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव/निरस्त भी किया जा सकता है ।
15. चयनोपरांत यदि कोंई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो चयन/नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
16. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन किया जावेगा।
17. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों की जांच प्रमाणपत्र जारीकर्ता से कराई जावेगी प्रमाणपत्र, गलत असत्य पाये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जाकर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
19. उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ति न होने पर आवेदन निरस्त माने जावेंगे।

(4) चयन प्रक्रियाः–

(1) विज्ञापित पदों के अनुरूप आयु–सीमा एवं शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीद्वारों को ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।

(2) उम्मीद्वारों द्वारा दसवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 75 अंक। उदाहरणार्थ– यदि किसी उम्मीद्वार का दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत है तो उसकी गणना निम्न होगी–

$$80 \times 75/100 = 60$$

अर्थात दसवीं में प्राप्त प्रतिशत का 60 अंक प्रदान किया जायेगा।

(3) संबंधित पदों के कार्यानुभव की न्यूनतम अर्हता 03 वर्ष है। अतः 03 वर्ष के पश्चात् के वर्ष के अनुभव के प्रत्येक वर्ष के लिये 05 अंक प्रदाय किये जायेंगे, लेकिन यह अंक अधिकतम 25 अंक से अधिक नहीं होगा चाहे अनुभव कितने भी अधिक वर्षों का हो। 03 वर्ष से कम अनुभव वाले अभ्यर्थियों को अपात्र माना जावेगा। खंड वर्ष में 06 माह से अधिक अनुभव को 01 वर्ष माना जावेगा।

क्रमशः.....

(4) कक्षा दसवीं में प्राप्त अंकों के 75 प्रतिशत की गणना में प्राप्त अंक तथा वांछित अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़कर वरियता निर्धारित की जाएगी।

(5) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी। यदि आयु भी समान हो तो अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम से वरीयता का निर्धारण किया जावेगा।

पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं स्व–घोषणा पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित समस्त प्रमाण पत्र एवं अंकसूचियों को स्वप्रमाणित कर छायाप्रतियों सहित दिनांक 17.01.2017 को शाम 05:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रंथालय), एंसीलरी ब्लाक (ए), द्वितीय तल, कक्ष कमांक एए 2–3, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492002 में प्राप्त हो जाना चाहिए। सीधे प्रस्तुत किये गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। उम्मीद्वार द्वारा लिफाफे पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। नियत तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे तथा अपूर्ण आवेदन निरस्त माने जावेंगे।

(भगवान सिंह कुशवाहा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आवेदन पत्र का प्रारूप

(बुक बाईण्डर एवं बुक असिस्टेण्ट, चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु)

(टीप : आवेदक स्वयं अपनी हस्तलिपि में आवेदन पत्र की पूर्ति करें)

फोटो
स्व– प्रमाणित

प्रति,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग(अधीक्षण),
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर छत्तीसगढ़।

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता:.....
   .....
   .....
4. स्थायी पता :.....
   .....
   .....
5. रोजगार कार्यालय का जीवित
   पजीयन क्रमांक/दिनांक :.....
6. जन्मतिथि(अ) अंकों में :.....
   (ब) शब्दों में :.....
7. दिनांक 01/01/2016 को आयु.....वर्ष.....माह.....दिन
8. जाति वर्ग (सामान्य/अ.जा./:.....
   अ.ज.जा./अ.पि.व.)
   (टीप : यदि आवेदक छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोंड़कर)का सदस्य है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
9. क्या आवेदक दिव्यांग है, : हां/नहीं.....
   (टीप : विकलांगता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है : हां/ नहीं.....
    (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
11. क्या आवेदक विवाहित है (हां/नहीं):.....
    (टीप : यदि हो तो **स्व–घोषणा पत्र** संलग्न करें कि निर्धारित न्यूनतम आयु–सीमा के पूर्व विवाह नहीं हुआ है।
12. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि:.....
13. विवाह की तिथि के समय आयु :.....वर्ष .....माह.....दिन.....
14. आवेदक की एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है :.....
    (**स्व–घोषणा पत्र** प्रस्तुत करें) हां/ नहीं :.....
15. जीवित बच्चों की संख्या :.....
16. (दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् 02 से अधिक बच्चे नहीं होने का **स्व–घोषणा पत्र** प्रस्तुत करें)
17. जीवित बच्चों का नाम

नाम	जन्म तिथि
1.....	.....
2.....	.....
3.....	.....

18. शैक्षणिक योग्यता–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						

(शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

19. अन्य योग्यताएं :.....

20. कार्यानुभव :.....

21. क्या आवेदक /आवेदिका के विरूद्ध कोंई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/ विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है। संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

:.....
:.....
:.....
:.....

22. संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची –

1.....2.....

3.....4.....

5.....6.....

7.....8.....

स्व–घोषणा पत्र

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सहीं है। अपेक्षित निर्धारित अर्हताओं/प्रमाणपत्रों के अभाव में मेरा आवेदन निरस्त किया जाएगा। प्रस्तुत जानकारी गलत पाए जाने पर मेंरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर

टीप – जो लागू न हो उसे काट दें

//स्व–घोषणा पत्र//

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति.....

.....उम्र.....वर्ष.....निवासी.....तहसील.....

जिला.....राज्य.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि: मेरा विवाह शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु–सीमा के पूर्व विवाह नहीं हुआ है।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर

//स्व–घोषणा पत्र//

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति.....

.....उम्र.....वर्ष.....निवासी.....तहसील.....

जिला.....राज्य.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि: मेरा/मेरी एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर

//स्व–घोषणा पत्र//

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति.....

.....उम्र.....वर्ष.....निवासी.....तहसील.....

जिला.....राज्य.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि: मेरा/मेरी दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् 02 से अधिक बच्चे नहीं है।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर